



राज्य स्वास्थ्य अभिकरण
कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना



डाण्डा लखौण्ड, सहस्रधारा रोड, देहरादून -248001

ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक: क्लेम मैनेजमेंट/2019-20/Comp.Med.Hosp.Hrd-81/1260

दि 21 नवम्बर, 2019

—:आदेश:—

कार्यालय ज्ञाप संख्या :क्लेम मैनेजमेंट/2019-20/Comp.Med.Hosp.Hrd-81/985 दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के क्रम में अनुबंध के सेक्शन-11 के पैरा-2 के सापेक्ष कम्प्लीट, मेडिकल इन्स्टिट्यूट, पीठ बाजार, हरिद्वार, उत्तराखण्ड (HOSP5P00781), की सूचीबद्धता तात्कालिक प्रभाव से समाप्त की जाती है।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

पत्रांक: क्लेम मैनेजमेंट/2019-20/Comp.Med.Hosp.Hrd-81/1200

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के सादर संज्ञानार्थ।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।
3. जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद, के सूचनार्थ प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून के सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित जनपद के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री कपिल कुमार, संस्थान प्रमुख, कम्प्लीट, मेडिकल इन्स्टिट्यूट, हरिद्वार को उक्त आदेशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।